

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर/महराजगंज।

पत्रांक-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल)/2021-2022

दिनांक-फरवरी, 22, 2022

सेवा में,


प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
जे0पी0 एजुकेशन एकेडमी,
ग्राम-महादेवा, पोस्ट-बारातगाड़ा, फरेन्दा,
जनपद-महराजगंज।

विषय:- जे0पी0 एजुकेशन एकेडमी, ग्राम-महादेवा, पोस्ट-बारातगाड़ा, फरेन्दा, जनपद-महराजगंज, स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-

कृपया उपरोक्त विषयक में जे0पी0 एजुकेशन एकेडमी, ग्राम-महादेवा, पोस्ट-बारातगाड़ा, फरेन्दा, जनपद-महराजगंज, भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये:-

- 1- पहुँच मार्ग:-उक्त भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुये अग्निशमन कार्य सम्पादित कर सकते हैं।
- 2- पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/उपरी-वाछित नहीं/है।
- 3- स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित नहीं/है।
- 4- फर्स्ट ऐड होज रील-वाछित नहीं/है।
- 5- भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक-मानक संख्या-2190:1992 के अनुसार मौके पर फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित पाये गये।
- 6- कम्पार्टमेन्टलाइजेशन-वाछित नहीं है।
- 7- स्वाचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित है।
- 8- सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित है।
- 9- निकास मार्ग के प्रदिप्त सकेंत चिन्ह-भवन में स्थापित है।
- 10- विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत-जरनेटर सेट वाछित है।
- 11- फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित नहीं है।
- 12- वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम-स्थापित है।
- 13- सेटबैक-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित है।
- 14- निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था-भवन में मानक के अनुसार उपलब्ध है।
- 15- फायर ड्रिल-प्रश्नगत प्रतिष्ठान/भवन में समय-समय पर फायर ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।
- 16- अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण-वाछित है।
- 17- अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिये स्टाफ/प्रशिक्षण-प्रश्नगत विद्यालय भवन में नियुक्त स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों को चलाने जाने का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है।
- 18- निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल-समय-समय पर वाछित है।
- 19- सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा-वाछित है।
- 20- विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण-प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना वाछित है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित/स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को भवन में उपलब्ध व कार्यशील दशा में बनाये रखना तथा एन0बी0सी0-2016 के शैक्षणिक भवन के मानक को पूर्ण करने तथा उ0प्र0 अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, सम्बन्धित प्रबन्धक/स्वामी का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्नि सुरक्षा का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से 01(एक) वर्ष तक वैध माना जायेगा। प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था अनुपलब्ध व अकार्यशील होने की दशा में निर्गत किया गया अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर/महराजगंज
गोरखपुर